

## कार्यालय, कोषाधिकारी, बारां (राज.)

क्रमांक:- कोष/स्थापना/2021/

दिनांक:

### -: कार्यालय आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा व कार्यालय परियोजना निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र-1 दिनांक 14.07.2021 के अनुसार सभी सरकारी कार्मिकों को RGHS वेब पोर्टल पर पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है। यह योजना दिनांक 01.01.2004 से पूर्व के सभी राज्य कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा व न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है, परन्तु 01.01.2004 के बाद के कर्मचारियों पर अंशदान कटौती वैकल्पिक होने के बावजूद भी राज मेडिकलेम योजना का लाभ लेने के लिए भी RGHS में पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन समस्त कर्मचारियों का 31.10.2021 तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाये तथा RGHS कार्ड की प्रति अक्टूम्बर माह के बिल के साथ संलग्न करें अन्यथा अक्टूम्बर माह से वेतन बिल आहरित नहीं किये जा सकेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी एवं स्वयं कर्मचारी की होगी।

कोषाधिकारी

बारां

दिनांक: 12/10/2021

क्रमांक:- कोष/स्थापना/2021/ 750

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त आहरण वितरण अधिकारी जिला बारां को पालनार्थ
3. सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारा
4. जिला जनसम्पर्क अधिकारी बारां को समाचार पत्रों में जनहित में प्रकाशनार्थ
5. उपकोषाधिकारी.....समस्त बारां
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली

कोषाधिकारी

बारां